

मुख्य अभियंता (पटना) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-भवन/मु0अभि0(पटना)यो0विविध 8-30/2016(पार्ट)

दिनांक.....

कार्यालय आदेश - (८९)

भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत गर्दनीबाग एवं शास्त्रीनगर, पटना स्थित सामुदायिक भवन को शादी एवं अन्य समारोह के लिए निर्धारित शुल्क पर अस्थायी रूप से आवंटित किया जाता है। सामुदायिक भवन को आरक्षित किये जाने हेतु पूर्व में आवेदन दिये जाने की समय सीमा निर्धारित नहीं थी।

अतः विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सामुदायिक भवन को आरक्षित किये जाने की तिथि से अधिकतम चार माह पूर्व प्राप्त आवेदन पर ही विचार किया जा सकेगा। शेष यथावत रहेगा।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

ह0/-


(कश्यप कुमार गुप्ता)
मुख्य अभियंता (पटना)

ज्ञापांक- 2285 फ)

पटना, दिनांक- 30/8/17

प्रतिलिपि - अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर/कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, पटना एवं आईटी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सामुदायिक भवन से संबंधित कनीय अभियंता एवं अवधायक को सूचित कर दें।


मुख्य अभियंता (पटना)